

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1207] No. 1207] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2017

का.आ.1367(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 2, उपखंड (ii) में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3028(अ) तारीख 10 नवंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना के अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता से उपलब्ध करा दी जाती है, से साठ दिन की अवधि के भी आक्षेप और सुक्षाव आमंत्रित किए गए थे;

और, जब की प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से आक्षेपों और सुक्षावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रुप से विचार किया गया है;

और, कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के अकोले और राजुर तहसीलों में स्थित है और इसकी सीमा नासिक जिले के ईगातपुरी ताल्लुक, थाणे जिले के शाहपुर और मुरबाद ताल्लुक और पुणे जिले के अनुसार ताल्लुक से जुड़ी है और 361.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, इस क्षेत्र में वनस्पित और जीव-जन्तु की विविधता समृद्ध है। वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम घाट में बसा है जो कि एक जैव विविधता का मान्यता प्राप्त हॉट स्पॉट है। कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के वनों को 2ए/सी2 दक्षिणी उष्णकिटबंधीय अर्ध सदाबहार वन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह वन वृक्ष प्रजातियों को सहयोग प्रदान करते है। जिसमें सागौन (टैकटोना ग्रांडिस), ऐन (टिमिंनालिया टोमेनटोसा), हिरदा (टिमिंनालिया चेबुला), बेहेदा (टिमिंनालिया बेलेरिका), अवाला (इमबलिका ओफिसिनालिया), पिसा (एक्टिनोडाफने अन्गुस्तिफोलिया), कराप (मेमोसाइलोन अमबेलाटम), करमबु (ओलेया डियोइका), खैर (अकाकिया कैटेचु), हेड (एडिना कोरडिफोलिया), कलामब (मितराग्यना परिवफ्लोरा), बिबला (पटारोकारपस मरसुपियम), कुम्भी (करेया अरबोरेया), आम (मैंगगिफेरा इंडिका), जम्भुल (साजिजियम कुमिनि) के साथ-साथ प्रजातियों जैसे बम्बू कॉटन, (बम्बोसा बम्बूस) और मनवेल (डेन्ड्रोकैलेमस स्ट्रीकटस) और झाडियों में करवांदा (किरिसा करूण्डस) और बेले में मोडविल (किस्ब्रिटम ओविलिग्रालियम) सिम्मिलित है:

और, अभयारण्य और उसके निकट प्रतिक्षेत्र जीव के वास है जिनमें तेंदुआ (*पेंथेरा पार्डस*), विशालकाय गिलहरी (*रतुफा इंडिका*), जंगली सूअर (*सस स्क्रोफा*), ब्लैक नेप खरगोश (*लेपस निगरीकोलिस*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चाएस*), लकड़बग्घा (*हेयना हेयना*), बोनेट

2850 GI/2017 (1)

मकाक (मकाक रेडिएट) और पिक्षयों की लगभग 130 विभिन्न प्रजातियां जिनमें ब्लैक-शोल्डरेड काइट (एलनस कैरियुलेस), काली बिल्ली (मिल्लस मिगरनस), ब्राहमिनी काइट (हलीस्टर इंडस), जंगल मुर्गी जैसे लाल जंगल मुर्गी (गल्लस गल्लस), और ग्रे जंगल मुर्गी (गल्लस सोननेरटी), कोयल (युडिनमीज़ स्कोलोपाकै), चित्तीदार उल्लू (अथेन बरमा), किंगफिशर जैसे ओरिएंटेड डूर्फ किंगफिशर (केयस एरिथाकस), सामान्य किंगफिशर (एल्सेडो एथिस), किंगफिशर जैसे ओरिएंटेड डूर्फ किंगफिशर स्ट्रोत सिहस स्ट्रोकबिल्ड किंगफिशर (हेलसिओन कैपेसिस), हेलसिओन कैपेनसिस), व्हाईट थ्रोटेड किंगफिशर (हेलसिऑन स्मिरेनेन्सिस), ब्लैक कैप्चर किंगफिशर (हेलसिओन पैलेट), पाइड किंगफिशर (कैरेल रूडी) आदि सम्मिलत है।

और, यह क्षेत्र सरीसृप रेपटाइल में भी समृद्ध हैं जिनमें 21 प्रकार के स्तनधारियों, 93 प्रकार के सरीसपृ, 130 प्रकार की मछिलयां अभिलिखित है। जो क्षेत्र की वन्यजीवों की समृद्धता दर्शाता है और इसके निकटवर्ती क्षेत्र प्रवासी पिक्षयों के लिए अक्सर उनके आवास का काम करते है

और, यह क्षेत्र प्रवर और मूला निदयों का उदगम स्थल है और जो धीरे -धीरे भारत के दक्षिणी भाग की गंगा नदी गोदावरी में समा जाती है, और इसके पश्चात अन्य कृषि और उसके सम्बद्ध क्रियाकलापों के विषय में महत्वपूर्ण योगदान है

और, अभयारण्य की मानव बस्ती से संनिकट्ता तथा अभयारण्य के चारों ओर चल रहे विकासात्मक क्रियाकलाप इन सब क्रियाकलापों पर नियंत्रण और उचित सुरक्षा उपायों की आवश्यकताओं को आवश्यक बनाते है। यह अभयारण्य 24 ग्रामों को जो कि प्रमुखत: कृषि प्रधान है को सहयोग प्रदान करता है।

और, कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है, पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारो ओर 1.6 से 4.0 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

- 1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-**-(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन 300.72 वर्ग किलोमीटर में 1.6 से 4.0 किलोमीटर तक विस्तारित है इस जोन का सीमा विवरण **उपाबंध–I** में दिया गया है।
 - (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले 42 ग्रामों सूची **उपाबंध-॥** के रुप में उपाबद्ध है।
 - (iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ सीमा विवरण **उपाबंध-III** के रुप में उपाबद्ध है ।
- (iv) कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ बिन्दुओं के जीपीएस निर्देशांको के विवरण और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन **उपाबंध-Illक** के रुप में उपाबद्ध है।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार इसके प्रभावी क्रियान्वयव के लिए में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।
- (3) आंचलिक महायोजना अधिसुचना में विनिर्दिष्ट शर्त के अनुरूप तैयार होगा और पर्यावरणीय निहितार्थ सम्मिलित है।
- (4) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।
- (5) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) नगर विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास:
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग।
- (6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।
- (7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जलाशयों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभर प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे पार्कों और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यानों, झीलों और अन्य जलाशयों का अभ्यकंन करेगी; आंचलिक महायोजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा।
- (9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।
- (10) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपाबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--
- (1) **भू-उपयोग** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 9,15,21,28 और सं. 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचय; और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं, :

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

- (2) प्राकृतिक जल स्रोतों आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।
- (3) **पर्यटन** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।
- (ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।
 - (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थातु :-
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;
 - (ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे ;
 - (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।
- (4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार या महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 2000 अंतर्गत तैयार करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार या महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

- (8) **बिहस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बिहस्राव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
 - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपिशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु पिरवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपिशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
 - (ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;
 - (iii) कोई ठोस अपशिष्ट के ज्वलन या भस्मीकरण और भूभराव की स्थापना पारिस्थितिक संवेदी जोन में अनुज्ञा नहीं की जाएगी।
- (10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जी.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई साधारण उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (iii) संरक्षित क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त उपचार प्रणाली प्रदान करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत विद्यमान निजी स्वास्थ्य केंद्रों या व्यक्तिगत अस्पतालों पहले से ही है।
- (11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **यानीय परिवहन** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सड़कों में यातायात संकुलन विनियमन के लिए और उदाहरण सी.एन.जी, एल.पी.जी आदि के लिए मार्जक ईधन उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जाए।

- (14) औद्योगिक ईकाईयां (क)पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी |
- (ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु या मृदा प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी |
- 4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणियां	
(1)	(2)	(3)	
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध होंगी । तथापि, वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना विद्यमान विनियमों के अनुसार अनुज्ञात होंगे। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21	
2.	आरा मिलों की स्थापना ।	अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वथा होंगे । पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।	
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। हरित या श्वेत कृषि आधारित लघु उद्योगों सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण के रूप में वर्गीकृत उद्योगों को नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा और उद्योगों के ताल प्रवर्ग में पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।	
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।	
5.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।	
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।	
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्ह्माव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।	
8.	नए काष्ठ आधारित उपयोग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग लागू विधि के अनुसार निरंतर बने रहेंगे ; परन्तु यह और कि विद्यमान आरा मिलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी समाप्ति अविध पर नहीं किया जाएगा।	
	ि	नियमित क्रियाकलाप	
9.	होटल और रिसोर्ट की स्थापना ।	पारिस्थितिक के अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के सिवाए संरक्षित क्षेत्रों की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नही होगी: पंरतु एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो कोई निकट सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू के अनुसार मार्ग दर्शक सिद्धांत के अनुरूप होंगे।	
10.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का उत्थान ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे भूमिगत केबलों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।	

11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) सभी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक जो भी समाप्त हो, सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:
		परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 6 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:
		परन्तु यह और कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा।
		(ख) एक किलोमीटर परे यह क्षेत्र आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।
		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
		(ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा।
13.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू- जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और देशी खपत के लिए जल का निष्कर्षण अनुज्ञात होगा ।
		(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है।
		(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ।
		(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
14.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
16.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
17.	विदेशी प्रजातियों को लाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	कृषि प्रणाली में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्नाव का निस्सारण ।	झील में शामिल होने वाले जल धारा में आंशिक रूप से उपचारित प्रवाहकों को उपचार के मिश्रण को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास। उपचारित बहिर्स्चाव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
21.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।

22.	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	पोलिथीन बैग का प्रयोग वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए।
25.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान, गर्म वायु गुबारों का राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	;	संवर्धित क्रियाकलाप
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
28.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
29.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
30.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
31.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
32.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	जैव गैस, सौर प्रकाश आदि को बढावा देना होगा ।
33.	पहाड़ी ढलानों और नदी के किनारो का	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
	संरक्षण।	
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
35.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
36.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।

5. निगरानी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, महाराष्ट्र राज्य में आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए तीन वर्ष की अविध हेतु निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात् :-

1	कलक्टर, जिला अहमदनगर	-अध्यक्ष
2	नासिक, पूना और थाणे के कलक्टरों के प्रतिनिधि	-सदस्य
3	नासिक, पूना, थाणे और अहमदनगर के जिला परिषदों के प्रतिनिधि	-सदस्य
4	क्षेत्र के वरिष्ठ शहरी योजनाकार	-सदस्य
5	महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, थाणे का प्रतिनिधि	-सदस्य
6	अपर पीसीसीएफ (वन्यजीव), नासिक का प्रतिनिधि	-सदस्य
7	पर्यावरण और पारिस्थितिक के क्षेत्र में तीन वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र सरकार	-सदस्य
	द्वारा विशेषज्ञ जो नामित किया जाए	
8.	महाराष्ट्र राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य	-सदस्य

- 9. गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि (पर्यावरण और विरासत संरक्षण) जो पर्यावरण सदस्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा
- 10. उपखण्ड वन अधिकारी, संगमसेर वन उपखण्ड

–सदस्य-सचिव।

6. निर्देश- निबंधन

- (1) निगरानी समिति की अवधि अधिसूचना के जारी की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी।
- (2) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सिम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सिम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी सिमिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
- 8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा.सं. 25/93/2015-ईएसजेड/आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

<u>उपाबंध ।</u>

पारिस्थितिक संवेदी जोन के कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ का भूमि उपयोग और सीमा का विवरण

उत्तर : पश्चिमी सीमा का कॉम्पट न. 302 दक्षिणी सीमा गांव इंदौरा का गट न. 310,311 गांव इंदौरा का पश्चिमी और दक्षिणी सीमा का गट न. 312 गांव इंदौरा की पश्चिमी सीमा का गट न. 319, 320,324,325,326,328. गांव इंदौरा की दक्षिणी सीमा का गट न. 353, गांव इंदौरा की पूर्वी सीमा का गट न. 327, गांव खादकेद की दक्षिणी सीमा का गट न. 42,43. गांव खादकेद की पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी सीमा का गट न. 44. गांव खादकेद की पूर्वी सीमा का गट न. 51,52. गांव खादकेद की पूर्वी और दक्षिणी सीमा का गट न. 50. गांव खादकेद की पूर्वी और पश्चिमी सीमा का गट न. 66. गांव खादकेद की पूर्वी और पश्चिमी सीमा का गट न. 675,76. गांव अम्बेवाडी की दक्षिणी सीमा का गट न. 561,564, 579, 598. गांव अम्बेवाडी की पूर्वी, दक्षिणी और

पश्चिमी सीमा का गट न. 563. गांव अम्बेवाडी की पश्चिमी सीमा का गट न. 578. गांव अम्बेवाडी की पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी सीमा का गट न. 599,600. गांव अम्बेवाडी की दक्षिणी सीमा का गट न. 602,604,606,607,608,3,4,6,7,8. गांव अम्बेवाडी की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा का गट न.10. गांव अम्बेवाडी की पश्चिमी सीमा का गट न. 9. गांव अम्बेवाडी की दक्षिणी सीमा का गट न.34,35,65. गांव अम्बेवाडी की पश्चिमी सीमा का गट न. 69,70,71. दक्षिणी और पश्चिमी सीमा का कॉम्पट न.308 गांव कुरुगंवाडी की दक्षिणी सीमा का गट न. 16,17. गांव कुरुगंवाडी की पूर्वी और दक्षिणी सीमा का गट न. 43. गांव कुरुगंवाडी की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा का गट न.46. गांव कुरुगंवाडी की पश्चिमी सीमा का गट न. 47. गांव कुरुगंवाडी की दक्षिणी सीमा का गट न. 53,55,57,58. दिक्षणी सीमा का कॉम्पट न. 314.

गांव जमुन्दा की पूर्वी और दक्षिणी सीमा का गट न. 44. पूर्वी सीमा का कॉम्पट न. 316. गांव जमुन्दा की उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी सीमा का गट न. 33,34. गांव जमुन्दा की दक्षिणी सीमा का गट न. 35. (पश्चिम नासिक डी.एन.) हिवहाली नदी की सीमा, नाल्लाह कम्पार्टमेंट न.438- ए (शाहपुर डी एन)

पूर्व

कॉम्पट न.55ए, 56ए, मुलखेल, कॉम्पट न.97ए, 99ए, धमानवन, कॉम्पट न.79 ई, 79 एफ, पुरुशवाडी कॉम्पट.96 बी, 96 सी, खड़की (खुर्द), कॉम्पट न. 14ए, 14बी शिसवाड, कॉम्पट न. 141ई, 141एफ, 141जी, 141एच, वघदरी, कॉम्पट न.141जे, 141आई, 141 के, शिंदे, कॉम्पट न.141 सी, पोहाने, 135बी, 135सी, पठान कॉम्पट न.142 एस, महादेववाड़ी कॉम्पट न. 140ए, अम्बित खिंद कॉम्पट न. 145 बी, 145 सी, गोदेवाड़ी कॉम्पट न. 145ई, 145एफ, 142डी, केलीकोतुल कॉम्पट न.145 ए. (संगमनेर उप डी.एन.)

दक्षिण

येसदारवाडी कॉम्पट न.144 ए, 144 बी, 144 सी, 144 डी (संगमनेर उप डी. एन)दक्षिणी सीमा का कॉम्पट न.716 (ठाणे वन प्रभाग) कॉम्पट न.03, 04, 05, मल्की सुर न.86,87,89, वन सर्वेक्षण न.122, मल्की सुर न.127,128 कॉम्पट न.6, मल्की सुर न.102,103, वन सर्वेक्षण न.104, मल्की क्र. न.105,107, कॉम्पट न.08, मल्की गट न. 189,190,193,194,197,198,236,237 243, 246, 316,317, कॉम्पट न.11, मल्की गट न.248,249,286,296,299,303,305, 332,334,339,340, कॉम्पट न.12 मल्की गट न. 39,43,44,45,47,48,49, मल्की गट न.37, वन सर्वेक्षण न.171 मल्की गट न.179,181,188,209,210,222,229 (जुनार वन डी.एन.)

पश्चिम

पश्चिमी सीमा का कॉम्पट न.711,714,716, दक्षिणी और पश्चिमी सीमा का कॉम्पट न. 716,715,714,711, उत्तरी सीमा का कम्पार्टमेंट न. 711, दक्षिणी सीमा का कॉम्पट न.710,709,702,701, पश्चिमी सीमा का कॉम्पट न.702,701


उपाबंध – II पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के मुख्य सीमाओं के भू निर्देशांक

क्र. सं.	विभाग	ग्रामों के नाम	अक्षांश	देशांतर
(i)	पश्चिम नासिक	खादकाद	19:36:33.338	73:41:47:440
(ii)	पश्चिम नासिक	अम्बेवाडी	19:36:02.082	73:43:32:996
(iii)	पश्चिम नासिक	कुरुगंवाडी	19:36:17.082	73:46:05:337
(iv)	पश्चिम नासिक	जमुन्दा	19:34:40.257	73:44:37:904
(v)	संगमानेर उप-विभाग	बरी	19:33:10.333	73:45:37:292
(vi)	संगमानेर उप-विभाग	वरगुंशी	19:31:43.596	73:46:05:835
(vii)	संगमानेर उप-विभाग	छिछोन्दी	19:30:25.229	73:45:40:739

(viii)	संगमानेर उप-विभाग	शेंदी	19:30:32.923	73:46:51:225
(ix)	संगमानेर उप-विभाग	भनदरदारा	19:29:07.040	73:48:20:169
(x)	संगमानेर उप-विभाग	मुटखेल	19:28:27.253	73:48:48:561
(xi)	संगमानेर उप-विभाग	तरुनगुन	19:27:41.444	73:49:04:428
(xii)	संगमानेर उप-विभाग	धमानवन	19:26:56.773	73:48:20:896
(xiii)	संगमानेर उप-विभाग	बलथान	19:25:36.369	73:50:01:268
(xiv)	संगमानेर उप-विभाग	पुरुशवाडी	19:25:21.539	73:50:59:192
(xv)	संगमानेर उप-विभाग	सिसवाद	19:25:09.288	73:51:50:843
(xvi)	संगमानेर उप-विभाग	वागदरी	19:25:41.680	73:52:16:671
(xvii)	संगमानेर उप-विभाग	सिंदे	19:26:00.000	73:53:00:000
(xviii)	संगमानेर उप-विभाग	कोहाने	19:25:08.615	73:54:17:919
(xix)	संगमानेर उप-विभाग	घोटी	19:24:06.903	73:55:46:367
(xx)	संगमानेर उप-विभाग	शिलवान्दी	19:23:18.444	73:56:41:761
(xxi)	संगमानेर उप-विभाग	अम्भोल	19:22:23.052	73:56:49:822
(xxii)	संगमानेर उप-विभाग	अम्बीत खिंद	19:21:25.684	73:56:24:353
(xxiii)	संगमानेर उप-विभाग	घोदेवाडी	19:20:50.563	73:54:57:673
(xxiv)	संगमानेर उप-विभाग	केली कोतुल	19:21:38.181	73:53:57:072
(xxv)	संगमानेर उप-विभाग	ईसरथाव	19:21:08.573	73:52:16:649
(xxvi)	जुन्नार विभाग	मंदवे	19:21:21.041	73:50:45:631
(xxvii)	जुन्नार विभाग	जम्बुलशी	19:22:23.998	73:49:52:405
(xxviii)	जुन्नार विभाग	कोपरी	19:23:17.690	73:47:57:812
(xxix)	जुन्नार विभाग	संगनोरे	19:22:31.116	73:46:34:944
(xxx)	जुन्नार विभाग	कोलहेवाडी	19:23:37.319	73:45:03:646
(xxxi)	जुन्नार विभाग	खिरेशवर	19:25:32.958	73:42:56:750
(xxxii)	जुन्नार विभाग	तिभाम्वी तारफ वैशखैर	19:25:53.391	73:41:01:828
(xxxiii)	जुन्नार विभाग	वालहीवारे	19:26:57.677	73:40:24:178
(xxxiv)	जुन्नार विभाग	मरदी	19:29:18.596	73:41:01:267
(xxxv)	जुन्नार विभाग	तेलेगांव	19:30:57.369	73:39:17:465
(xxxvi)	शनापुर विभाग	गुण्डे	19:31:49.089	73:38:16:260
(xxxvii)	शनापुर विभाग	देहेने	19:32:35.068	73:36:48:989
(xxxviii)	शनापुर विभाग	सकुरली	19:33:29.339	73:36:56:121
(xxxix)	शनापुर विभाग	छोंधी बी के.	19:34:27.767	73:37:00:769
(xxxx)	शनापुर विभाग	छोंधी के एच.	19:36:04.459	73:39:58:893
(xxxxi)	शनापुर विभाग	हिंगलुद	19:36:19.397	73:37:42:960
(xxxxii)	शनापुर विभाग	कालभोन्दे	19:36:13.109	73:36:15:124
		1		

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र के साथ निर्देशांकों का सीमा विवरण



उपाबंध-III क

क. कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के भू निर्देशांक

क्र. सं	बिन्दु सं.	अक्षांश	देशांतर
(1)	ए	19:35:07.885	73:37:02:317
(2)	बी	19:35:38.094	73:37:54:875
(3)	सी	19:35:20.943	73:40:12:992
(4)	डी	19:36:00.823	73:42:34:415
(5)	र्पञ	19:35:12.292	73:46:00:812
(6)	एफ	19:34:48.692	73:44:01:428
(7)	जी	19:33:57.377	73:44:22:640
(8)	एच	19:33:45.867	73:44:49:937
(9)	आई	19:31:81.262	73:44:57:943
(10)	जे	19:28:30.547	73:44:53:669
(11)	के	19:29:56.718	73:47:14:210
(12)	एल	19:27:45.205	73:48:49:050

(13)	एम	19:27:31.409	73:48:36:174
(14)	एन	19:27:40.841	73:48:21:331
(15)	ओ	19:27:27.943	73:48:00:887
(16)	पी	19:26:27.235	73:47:50:269
(17)	क्यू	19:26:08.960	73:48:12:988
(18)	आर	19:26:25.252	73:48:43:006
(19)	एस	19:26:02.892	73:49:14:281
(20)	टी	19:25:07.887	73:49:84:087
(21)	यू	19:25:23.293	73:50:35:071
(22)	वी	19:25:04.555	73:51:18:140
(23)	डब्लू	19:24:00.683	73:52:13:434
(24)	एक्स	19:25:44.745	73:52:36:763
(25)	वाई	19:25:08.107	73:52:44:896
(26)	जेड	19:25:20.008	73:53:24:523
(27)	ए1	19:25:11.827	73:53:43:400
(28)	ए 2	19:24:38.966	73:53:39:637
(29)	ए 3	19:24:09.674	73:55:20:710
(30)	ए 4	19:22:56.407	73:56:30:031
(31)	ए 5	19:22:11.340	73:56:34:190
(32)	ए 6	19:21:22.739	73:55:46:604
(33)	ए 7	19:20:34.529	73:56:34:905
(34)	ए 8	19:20:18.018	73:56:10:094
(35)	ए 9	19:20:25.196	73:55:59:618
(36)	ए 10	19:20:17.224	73:55:40:209
(37)	ए 11	19:20:58.107	73:55:10:792
(38)	ए 12	19:21:43.152	73:54:21:777
(39)	ए 13	19:22:24.978	73:53:09:757
(40)	ए 14	19:21:57.663	73:50:33:580
(41)	ए 15	19:22:39.570	73:50:11:900
(42)	ए 16	19:22:14.722	73:49:22:241
(43)	ए 17	19:23:40.289	73:48:13:538
(44)	ए 18	19:23:08.026	73:46:18:190
(45)	ए 19	19:25:46.413	73:43:54:730
(46)	ए 20	19:25:34.835	73:42:26:005
(47)	ए 21	19:27:36.038	73:40:30:120
(48)	ए 22	19:29:00.630	73:42:50:169
(49)	ए 23	19:31:04.045	73:40:46:655
(50)	ए 24	19:32:08.732	73:39:29:982
(51)	ए 25	19:31:54.940	73:38:01:513
1		1	

(52)	ए 26	19:32:51.754	73:37:22:199
(53)	ए 27	19:33:58.234	73:37:86:317
(54)	ए 28	19:34:26.328	73:37:39:307
(55)	ए 29	19:34:42.862	73:37:01:014

ख. कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के भू निर्देशांक

क्र. स. और बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
(1)	19:35:54.317.	73:35:58.406.
(2)	19:37:07.673.	73:38:40.183.
(3)	19:36:44.133.	73:42.40.194.
(4)	19:35:12.907.	73:46:35.110.
(5)	19:30:31.027.	73:47:08.761.
(6)	19:26:58.580.	73:48:39.008.
(7)	19:25:08.615.	73:54:17.919.
(8)	19:23:56.682.	73:57:00.619.
(9)	19:21:02.563.	73:57:56.850.
(10)	19:21:03.661.	73:54:27.657.
(11)	19:22:11.898.	73:49:04.074.
(12)	19:21:31.665.	73:47:32.043.
(13)	19:23:21.111.	73:43:28.713.
(14)	19:25:16.291.	73:43:05.513.
(15)	19:26:32.623.	73:39:20.252.
(16)	19:28:51.745.	73:40.26.599.
(17)	19:30:46.511.	73:38:19.160.
(18)	19:31:38.911.	73:36:45.297.
(19)	19:31:43.670.	73:35:32.330.
(20)	19:33:57.642.	73:35:57.961.

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- 3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
- भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।
- पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश ।
 ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2017

S.O.1367(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, expressing, Part II, Section 3, Sub-section (ii) on the number S.O. 3028 (E), dated the 10th November, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And WHEREAS, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary located in Akole and Rajur Tehsils of Ahmad nagar District and shares boundary with Lgatpuri Taluka of Nashik District, Shahapur and Murbad Talukas of Thane District and Junnar Taluka of Pune District in the State of Maharashtra is spread over an area of 361.71 sq. kms;

AND WHEREAS, the area is rich in floral and faunal diversity and the Wildlife Sanctuary is nestled in the Western Ghats, a recognised hot spot of biodiversity and the forests of the Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary are classified under 2A/C2-Southern Tropical Semi-evergreen Forest and the forests support tree species including Teak (Tectona grandis) Ain (Terminalia tomentosa), Hirda (Terminalsia chebula), Beheda (Terminalia bellerica), Awala (Emblica officinalis), Pisa (Actinodaphne angustifolia), Karap (Memocylon umbellatum), Karmbu (Olea dioica), Khair (Acacia catechu), Hed (Adina cordifolia), Kalamb (Mitragyna parviflora), Bibla (Pterocarpus marsupium), Kumbhi (Careya arborea), Mango (Mangifera indica), Jambhul (Syzygium cumini) along with other species like Bamboo-Katang (Bambusa bamboos) and Manvel (Dendrocalamus strictus), shrubs including Karvanda (Carissa carundus) and climbers including Modewel (Combretum ovalifalium);

AND WHEREAS, the Sanctuary and the adjoining area is home to wildlife comprising Leopard (*Panthera pardus*), Giant Squirrel (*Ratufa indica*) Wild Boar (*Sus scrofa*), Blacknaped Hare (*Lepus nigricollis*), Wild Cat (*Felis chaus*), Hyaena (*Hyaena hena*), Bonnet Macaque (*Macaca radiate*) and with about 130 different avi- fauna including Peacock, Purple Heron (*Ardea purpurea*), Kites such as the Black-Shouldered Kite (*Elanus caeruleus*), Black Kite (*Milvus migrans*), Brahminy Kite (*Haliastur Indus*) Jungle Fowl such as the Red Junglefowl (*Gallus gallus*), and Grey Junglefowl (*Gallus sonneratii*), Koel (*Eudynamys scolopacea*), Spotted Owlet (*Athene brama*), Kingfishers such as Oriented Dwarf Kingfisher (*Ceyx erithacus*), Common Kingfisher (*Alcedo atthis*), Storkbilled Kingfisher (*Halcyon capensis*), White Throated Kingfisher (*Halcyon smyrnensis*), Black capped Kingfisher (*Halcyon pileat*), Pied Kingfisher (*Ceryle rudis*), etc;

AND WHEREAS, the area is also rich in reptiles, having recorded 21 types of mammals, 93 types of reptiles, 130 types of birds and 2 types of fishes, thereby justifying the richness of the area in wildlife and the adjoining areas often serve as home to the migratory wildlife;

AND WHEREAS, the area is the origin of the Rivers Pravara and Mula, which gradually merge into the River Godavari, the Ganga of the southern part of India, thereby has lot of significance in the development of agriculture and allied activity downstream;

AND WHEREAS, the close vicinity of the Sanctuary to human habitation and ongoing developmental activities around the Sanctuary necessitates the requirement of proper safeguards and control over such activities and the Sanctuary supports 24 villages which are principally agriculture based;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area surrounding the protected area of Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view:

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1.6 to 4.0 kilometers around the boundary of Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as the Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- **1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.** (i) The Eco-sensitive Zone shall be with a peripheral area of 300.72 sq. kms. with an extent varying from 1.6 km to 4.0 kms. and the boundary description and land use of the Eco-sensitive Zone is as **Annexure-I**.
- (ii) The Geo co-ordinates of 42 villages falling in the Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure-II.**
- (iii) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as Annexure-III.
- (iv) The details of Geo coordinates of the points along the boundary of the Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure-III A.**
- **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration.
- (2) The Zonal Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government for its effective implementation.
- (3) The Zonal Master Plan so prepared shall commensurate with the stipulation specified in the Notification and include the environmental implications.
- (4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this Notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i). Environment;
 - (ii). Forest and Wildlife;
 - (iii). Agriculture;
 - (iv). Revenue;
 - (v). Urban Development;
 - (vi). Tourism;
 - (vii). Rural Development;
 - (viii). Irrigation and Flood Control;
 - (ix). Municipal;
 - (x). Panchayati Raj; and
 - (xi). Public Works Department
- (6) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

- (7) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes, wetlands and other water bodies and also with supporting maps and the said Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.
- (9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and shall follow prohibited, regulated and promoted activities specified in the Notification so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (10) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions with respect to the provisions given in this notification.
- 3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use .-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 9, 15, 21, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;
- (ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) Small scale industries not causing pollution,
- (iv) Rainwater harvesting, and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above recessed correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) **Natural springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment management plan including lake shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit or and restrict development activities within the catchment areas.
- (3) **Eco-Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Eco-Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.
- (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
 - (ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities;

- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.
- (7) Air pollution.- The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.
- (8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder.
- (9) Solid wastes.- Disposal of solid wastes shall be as under:-
 - (i) the solid waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;
 - (ii) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Ecosensitive Zone;
 - (iii) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.-** (i) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.
 - (ii) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.
 - (iii) Individual hospitals or private health centres already existing within the Eco Sensitive Zone should provide adequate treatment system to avoid adverse impact on the Protected Area.
- (11) **Plastic Waste Management.-** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and Demolition Waste Management.** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317 (E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **Vehicular traffic.** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

Attempt to be made by the State Government to regulate the traffic congestion in roads of Eco-sensitive Zone and efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(14) Industrial Units

- (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.
- (b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Ecosensitive Zone shall be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks		
(1)	(2)	(3)		
	Prohibited Activities			
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.		
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.		
3.	Setting up of industries causing water or ai or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board Classification including agrobased small scale industries will be regulated as per regulations and no Red category of industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone.		
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
6.	Use or production of any hazardous substances.			
7.	Discharge of untreated effluents in natura water bodies meeting lakes, rivers and or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per		
8.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that the renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.		
	Regulated A			
9.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary		

		structures for Eco-tourism activities:
		Provided that, beyond one kilometre from the boundary
		of the protected Area or upto the extent of Eco- sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist
		activities or expansion of existing activities shall be in
		conformity with the Tourism Master Plan and
		guidelines as applicable.
10.	Erection of electrical cables and	Regulated under applicable law. Underground cabling
	telecommunication towers.	may be promoted.
11.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall
		be permitted within one Kilometre from the boundary
		of the Protected Area or upto extent of the Eco-
		sensitive Zone whichever is nearer:
		Provided that, local people shall be permitted to
		undertake construction in their land for their use
		including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws:
		Provided that the construction activity related to
		small scale industries not causing pollution shall be
		regulated and kept at the minimum, with the prior
		permission from the competent authority as per
		applicable rules and regulations, if any.
		(b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per
12	To We do	the Zonal Master Plan.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or
		Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State
		Government;
		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance
		with the provisions of the concerned Central or State
		Acts and the rules made thereunder.
		(c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the
12		Working Plan prescriptions shall be followed.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for <i>bona fide</i> agricultural use and
	ground water narvesting.	domestic consumption of the occupier of the land.
		(b) Extraction of surface water and ground water for
		industrial or commercial use including the amount that
		can be extracted, shall require prior written permission
		from the concerned Regulatory Authority and adapting
		appropriate measures for rain water harvesting.
		(c) No sale of surface water or ground water shall be permitted.
		(d) Steps shall be taken to prevent contamination or
		pollution of water from any source including
		agriculture.
14.	Fencing of existing premises of hotels and	Regulated under applicable laws.
1.7	lodges.	
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact
16.	Movement of vehicular traffic at night.	Assessment and mitigation measures, as applicable. Regulated for commercial purpose, under applicable
10.	into remem or remedian traine at hight.	laws.
17.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
18.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
19.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural	Efforts to be made to prevent mixing of treated,
	water bodies or land area.	partially treated effluents to the water stream joining
		the lake. Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes,
		the existing regulations shall be followed.
-		

21.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-		
		based industry producing products from indigenous		
		goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not		
22.	Air and rehicular mallestion	cause any adverse impact on environment.		
	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.		
23.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.		
24.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags should be regulated scientifically.		
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber	Regulated under applicable laws.		
	Forest Produce (NTFP).			
26.	Undertaking activities related to eco-tourism	Regulated under applicable laws.		
	like over-flying the National Park Area by			
	aircraft, hot-air balloons, drones, etc.			
	Promoted Activities			
27.	Ongoing agriculture and horticulture	Permitted under applicable laws.		
	practices by local communities along with			
	dairies, dairy farming, aquaculture and			
	fisheries.			
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.		
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.		
30.	Adoption of green technology for all	Shall be actively promoted.		
	activities.			
31.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.		
32.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted.		
33.	Protection of hill slopes and river banks.	Shall be actively promoted.		
34.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.		
35.	Skill Development.	Shall be actively promoted.		
36.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.		

5. Monitoring Committee.-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years for the effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Maharashtra , which shall comprise of the following namely:-

1.	Collector, Ahmednagar District	Chairman;
2.	Representative of Collectors of Nashik, Pune and Thane	Members;
3.	Representative of Zila Parishads of Nashik, Pune, Thane and Ahmednagar	Members;
4.	Senior Town Planner of the area	Member;
5.	Representative of Maharashtra State Pollution Control Board, Thane	Member;
6.	Representative of Additional PCCF (Wildlife), Nashik	Member;
7.	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a period of three years	Member;
8.	Member of the Maharashtra State Biodiversity Board	Member;
9.	One representatives of Non-governmental Organization (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra for a period of three years	Member;
10.	Sub Divisional Forest Officer, Sangamner Forest Sub Division	Member-Secretary.

6. Terms of Reference:

- (1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of issue of Notification.
- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per proforma appended at **Annexure-IV**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- **7.** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No.25/93/2015-ESZ-RE] LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

$\frac{\textbf{BOUNDARY DESCRIPTION AND LAND USE OF KALSUBAI HARISHCHANDRAGAD ECO-SENSITIVE}}{\underline{\textbf{ZONE}}}$

North: Western boundary of comptt. No.302 Southern boundary of village Indora Gat No.310, 311

Western and Southern boundary of Village Indora Gat No.312 Western boundary of Village
Indora Gat No.319, 320,324,325,326,328. Southern boundary of village Indora Gat No.353,

Eastern boundary of village Indora Gat No. 327, Southern boundary of village Khadked Gat

No.42,43. Eastern, southern and western boundary of village Khadked Gat No. 44. Eastern boundary of village Khadked Gat No. 51,52. Eastern and southern boundary of village Khadked Gat No. 50. southern and western boundary of village Khadked Gat No. 66. western boundary of village Khadked Gat No. 68,69. Southern boundary of village Khadked Gat No. 75,76. southern boundary of village Ambewadi Gat No. 561,564, 579, 598. Eastern, southern and western boundary of village Ambewadi Gat No. 563. western boundary of village Ambewadi Gat No. 578. Eastern, southern and western boundary of village Ambewadi Gat No. 599,600. southern boundary of village Ambewadi Gat No. 602,604,606,607,608,3,4,6,7,8. Southern and western boundary of village Ambewadi Gat No.10. western boundary of village Ambewadi Gat No. 9. southern boundary of village Ambewadi Gat No.34,35,65. western boundary of village Ambewadi Gat No. 69,70,71.southern and western boundary of Comptt No.308. Southern boundary of village Kurungwadi Gat No. 16,17. Eastern and southern boundary of village Kurungwadi Gat No. 43. western and southern boundary of village Kurungwadi Gat No.46. western boundary of village Kurungwadi Gat No.47. Southern boundary of village Kurungwadi Gat No. 53,55,57,58. southern boundary of Comptt. No. 314. Eastern and southern boundary of village Jamunda Gat No. 44. Eastern boundary of Comptt. No. 316. Northern Eastern and southern boundary of village Jamunda Gat No. 33, 34. Southern boundary of village Jamunda Gat No. 35. (WEST NASHIK DN) Boundary of Hivhali River, Nallh Compartment No.438-A (SHAHAPUR DN.)

East Compt.No.55A, 56A, Mulkhel, Compt.No.97A, 99A, Dhamanvan, Compt.No.79E, 79F, Purushwadi Compt.96B, 96C, Khadki (Khurd), Compt.No.14A, 14B Compt.No.141E, 141F, 141G, 141H, Waghdari, Compt.No.141J, 141I, 141K, Shinde, Compt.No.141C, Pohane, 135B, 135C, Paithan Compt.No.142S, Compt.No.140A, Ambit Khind Compt.No.145B, 145C, Godewadi Compt.No.145E, 145F, 142D, Kelikotul Compt.No.145A.(SANGAMNER SUB DN.)

South Yesdarwadi Compt.No.144A, 144B, 144C, 144D (SANGAMNER SUB DN.) Southern Boundary of Compt.No.716 (THANE FOREST DIVISION) Compt.No.03, 04, 05, Malki Sur.No.86,87,89, Forest Survey No.122, Malki S.No.127,128 Compt.No.6, Malki Sur.No.102,103, Forest Survey No.104, Malki S.No.105,107, Compt.No.08, Malki Gut No.189,190,193,194,197,198,236,237 243, 246, Compt.No.11, Malki Gut No.248,249,286,296,299,303,305, 332,334,339,340, Compt.No.12 Malki Gut No.39,43,44,45,47,48,49, Malki Gut No.37, Forest Survey No.171 Malki Gut.No.179,181,188,209,210,222,229 (JUNNAR FOREST DN.)

West Western Boundary of Compt. No. 711, 714,716, Southern and Western Boundary of Compt. No 716,715,714,711, Northern boundary of Compartment No.711, Southern Boundary of Compartment No.710,709,702,701, Western Boundary of Compt. No 702,701


ANNEXURE-II

$\frac{\text{GEO CORDINATES OF PROMINENT BOUNDARIES OF THE VILLAGES FALLING IN THE ECOSENSITIVE ZONE}{\text{SENSITIVE ZONE}}$

Sl. No.	Division	Name of Villages	Latitude	Longitude
	West Nashik	Khadked	19:36:33.338	73:41:47:440
(i).				73:41:47:440
(ii).	West Nashik	Ambewadi	19:36:02.082	
(iii).	West Nashik	Kurungwadi	19:36:17.082	73:46:05:337
(iv).	West Nashik	Jamunda	19:34:40.257	73:44:37:904
(v).	Sangamner Sub- Div	Bari	19:33:10.333	73:45:37:292
(vi).	Sangamner Sub- Div	Wargunshi	19:31:43.596	73:46:05:835
(vii).	Sangamner Sub- Div	Chichondi	19:30:25.229	73:45:40:739
(viii).	Sangamner Sub- Div	Shendi	19:30:32.923	73:46:51:225
(ix).	Sangamner Sub- Div	Bhandardara	19:29:07.040	73:48:20:169
(x).	Sangamner Sub- Div	Mutkhel	19:28:27.253	73:48:48:561
(xi).	Sangamner Sub- Div	Terungan	19:27:41.444	73:49:04:428
(xii).	Sangamner Sub- Div	Dhamanvan	19:26:56.773	73:48:20:896
(xiii).	Sangamner Sub- Div	Balthan	19:25:36.369	73:50:01:268
(xiv).	Sangamner Sub- Div	Purushwadi	19:25:21.539	73:50:59:192
(xv).	Sangamner Sub- Div	Sisvad	19:25:09.288	73:51:50:843
(xvi).	Sangamner Sub- Div	Waghdari	19:25:41.680	73:52:16:671
(xvii).	Sangamner Sub- Div	Sinde	19:26:00.000	73:53:00:000
(xviii).	Sangamner Sub- Div	Kohane	19:25:08.615	73:54:17:919
(xix).	Sangamner Sub- Div	Ghoti	19:24:06.903	73:55:46:367
(xx).	Sangamner Sub- Div	Shilwandi	19:23:18.444	73:56:41:761
(xxi).	Sangamner Sub- Div	Ambhol (Mahadevwadi)	19:22:23.052	73:56:49:822
(xxii).	Sangamner Sub- Div	Ambit Khind	19:21:25.684	73:56:24:353
(xxiii).	Sangamner Sub- Div	Ghodewadi	19:20:50.563	73:54:57:673
(xxiv).	Sangamner Sub- Div	Keli Kotul	19:21:38.181	73:53:57:072
(xxv).	Sangamner Sub- Div	Yserthav	19:21:08.573	73:52:16:649
(xxvi).	Junnar Division	Mandve	19:21:21.041	73:50:45:631
(xxvii).	Junnar Division	Jambulshi	19:22:23.998	73:49:52:405
(xxviii).	Junnar Division	Kopri	19:23:17.690	73:47:57:812
(xxix).	Junnar Division	Sangnore	19:22:31.116	73:46:34:944
(xxx).	Junnar Division	Kolhewadi	19:23:37.319	73:45:03:646
(xxxi).	Junnar Division	Khireshwar	19:25:32.958	73:42:56:750
(xxxii).	Thane Division	Tithambi Tarf Vaishkhaire	19:25:53.391	73:41:01:828
(xxxiii).	Thane Division	Walhivare	19:26:57.677	73:40:24:178
(xxxiv).	Thane Division	Merdi	19:29:18.596	73:41:01:267
(xxxv).	Thane Division	Telegaon	19:30:57.369	73:39:17:465
(xxxvi).	Shahapur Division	Gunde	19:31:49.089	73:38:16:260
(xxxvii).	Shahapur Division	Dehene	19:32:35.068	73:36:48:989
(xxxviii).	Shahapur Division	Sakurli	19:33:29.339	73:36:56:121
(xxxix).	Shahapur Division	Chondhi bk.	19:34:27.767	73:37:00:769
(xxxx).	Shahapur Division	Chondhi kh.	19:36:04.459	73:39:58:893
(xxxxi).	Shahapur Division	Hinglud	19:36:19.397	73:37:42:960
(xxxxii).	Shahapur Division	Kalbhonde	19:36:13.109	73:36:15:124

ANNEXURE-III

MAP OF THE ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH BOUNDARY DETAILS AND GEO CO-ORDINATES



ANNEXURE-III A

A. Geo Coordinates of Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Point Code	Latitude	Longitude
(1)	A	19:35:07.885	73:37:02:317
(2)	В	19:35:38.094	73:37:54:875
(3)	C	19:35:20.943	73:40:12:992
(4)	D	19:36:00.823	73:42:34:415
(5)	Е	19:35:12.292	73:46:00:812
(6)	F	19:34:48.692	73:44:01:428
(7)	G	19:33:57.377	73:44:22:640
(8)	Н	19:33:45.867	73:44:49:937
(9)	I	19:31:81.262	73:44:57:943
(10)	J	19:28:30.547	73:44:53:669
(11)	K	19:29:56.718	73:47:14:210
(12)	L	19:27:45.205	73:48:49:050
(13)	M	19:27:31.409	73:48:36:174
(14)	N	19:27:40.841	73:48:21:331
(15)	0	19:27:27.943	73:48:00:887

(16)	P	19:26:27.235	73:47:50:269
(17)	Q	19:26:08.960	73:48:12:988
(18)	R	19:26:25.252	73:48:43:006
(19)	S	19:26:02.892	73:49:14:281
(20)	T	19:25:07.887	73:49:84:087
(21)	U	19:25:23.293	73:50:35:071
(22)	V	19:25:04.555	73:51:18:140
(23)	W	19:24:00.683	73:52:13:434
(24)	X	19:25:44.745	73:52:36:763
(25)	Y	19:25:08.107	73:52:44:896
(26)	Z	19:25:20.008	73:53:24:523
(27)	A1	19:25:11.827	73:53:43:400
(28)	A2	19:24:38.966	73:53:39:637
(29)	A3	19:24:09.674	73:55:20:710
(30)	A4	19:22:56.407	73:56:30:031
(31)	A5	19:22:11.340	73:56:34:190
(32)	A6	19:21:22.739	73:55:46:604
(33)	A7	19:20:34.529	73:56:34:905
(34)	A8	19:20:18.018	73:56:10:094
(35)	A9	19:20:25.196	73:55:59:618
(36)	A10	19:20:17.224	73:55:40:209
(37)	A11	19:20:58.107	73:55:10:792
(38)	A12	19:21:43.152	73:54:21:777
(39)	A13	19:22:24.978	73:53:09:757
(40)	A14	19:21:57.663	73:50:33:580
(41)	A15	19:22:39.570	73:50:11:900
(42)	A16	19:22:14.722	73:49:22:241
(43)	A17	19:23:40.289	73:48:13:538
(44)	A18	19:23:08.026	73:46:18:190
(45)	A19	19:25:46.413	73:43:54:730
(46)	A20	19:25:34.835	73:42:26:005
(47)	A21	19:27:36.038	73:40:30:120
(48)	A22	19:29:00.630	73:42:50:169
(49)	A23	19:31:04.045	73:40:46:655
(50)	A24	19:32:08.732	73:39:29:982
(51)	A25	19:31:54.940	73:38:01:513
(52)	A26	19:32:51.754	73:37:22:199
(53)	A27	19:33:58.234	73:37:86:317
(54)	A28	19:34:26.328	73:37:39:307
(55)	A29	19:34:42.862	73:37:01:014

B. Geo Coordinates of Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary

Sl. No. and Point Code	Latitude	Longitude
(1)	19:35:54.317.	73:35:58.406.
(2)	19:37:07.673.	73:38:40.183.
(3)	19:36:44.133.	73:42.40.194.
(4)	19:35:12.907.	73:46:35.110.
(5)	19:30:31.027.	73:47:08.761.
(6)	19:26:58.580.	73:48:39.008.
(7)	19:25:08.615.	73:54:17.919.
(8)	19:23:56.682.	73:57:00.619.
(9)	19:21:02.563.	73:57:56.850.
(10)	19:21:03.661.	73:54:27.657.
(11)	19:22:11.898.	73:49:04.074.
(12)	19:21:31.665.	73:47:32.043.
(13)	19:23:21.111.	73:43:28.713.
(14)	19:25:16.291.	73:43:05.513.
(15)	19:26:32.623.	73:39:20.252.
(16)	19:28:51.745.	73:40.26.599.
(17)	19:30:46.511.	73:38:19.160.
(18)	19:31:38.911.	73:36:45.297.
(19)	19:31:43.670.	73:35:32.330.
(20)	19:33:57.642.	73:35:57.961.

ANNEXURE-IV

Proforma of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone monitoring Committee.-

- 1. Number and date of Meetings:
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise):

 Details may be attached as Annexure
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
- 8. Any other matter of importance.